राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 155/2014/नागौर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–द्वितीय,वृत–नागौर — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स मेघराज प्रेमराज सेठिया
मेडतासिटी, जिला नागौर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री कृष्ण गोपाल खत्री
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 06.10.2015

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय,वृत–नागौर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 116/12–13/वैट/नागौर में पारित आदेश दिनांक 24.07.2013 के विरूद्ध पेश की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय,वृत–मेडतासिटी द्वारा दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थित में किये जाने पर लेखा पुस्तकों में घी रू.3,32,100/– एवं रू.1,64,526/– का तेल दर्ज पाया गया किन्तु स्टॉक में घी रू.3,11,600/– एवं तेल रू.84,980/– का पाया गया। इस प्रकार घी रू.20,500/– एवं तेल रू. 79,546/– का स्टॉक में कम पाया गया । सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय,वृत–मेडतासिटी ने स्टॉक में माल कम रू. का पाये जाने के कारण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनिमय कहा जायेगा) की धारा 61(1) का अभियोग बनाकर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित की। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.08.2012 के लिए जारी किया। नोटिस के जवाब में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बताया गया कि वह अधिनियम की धारा 3(2) का डीलर है और समय पर कर जमा करवाया गया है तथा माल अप्रूवल पर दिया है तथा रूपये प्राप्त होने पर बिल दिया जायेगा। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब को सन्तोषप्रद नही मानते हुए घी रू. 20,500/– एवं तेल रू. 79,546/– कुल रू. 1,00,046/–का स्टॉक में कम पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 25 व धारा 61 (1) के अन्तर्गत वैट 5 प्रतिशत से रू. 5002/– एवं कर की दुगुनी शास्ति रू. 10,005/– कुल रू. 15,007/– की मांग

सृजित की,जिसको अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने सृजित मांग में से रू. 1503/– की मांग को यथावत रखते हुए शेष सृजित मांग राशि रू 13,504/– को अपास्त कर दिया। अपास्त की गई मांग राशि से क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश पूर्णतः विधि विरूद्ध, दोष युक्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 3(2) का डीलर बिना किसी आधार के मानकर देय 0.50 प्रतिशत माना है जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने नोटिस के जवाब में बताया है कि माल हमने अप्रूवल बेसिस पर बेचा है और हमको पेमेन्ट आने पर इसका बिल जारी करेंगे। उनका कथन है कि कोई माल अप्रूवल पर नही दिया गया है। उनका कथन है कि वक्त जांच माल स्टाक में कम पाया गया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने विधिक रूप से कर एवं शास्ति आरोपित की है,जिसको बिना किसी आधार के अपीलीय अधिकारी ने कम किया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपील स्वीकार करने कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने समस्त खरीद पंजीरकृत व्यवहारियों से कर चुका कर की है। उनका कथन है कि घी व तेल ग्राहाकों को अप्रुवल पर दिया था,जिसका कारण यह था कि उन्हें जितनी आवश्यकता होती है उतना काम में लेगें शेष बचा हुआ माल वापस दे देंगें औरा उसी हिसाब से प्रत्यर्थी व्यवहारी ने बिल जारी नही किये है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यहवारी अधिनियम की धारा 3 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत होने से कर देयता 0.50 प्रतिशत से है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पूर्ण विचार करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नहीं है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1821/2012/झुन्झुनूँ वाणिज्यिक कर अधिकारी,झुन्झुनूँ बनाम मैसर्स श्याम फर्नीचर,झुन्झुनूँ में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2014 को उद्धरित करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं उद्धरित निर्णय का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी अधिनियम की धारा 3 (2) का डीलर है अतः इसकी देय कर कर 0.50 प्रतिशत है।अतः कम पाये गये माल कर 0.50 प्रतिशत से आरोपित किया जाकर उस कर राशि पर

अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित की जा सकती है। चूँकि प्रत्यर्थी व्यवहारी अधिनियम की धारा 3(2) से निष्कासित नहीं किया गया है,इसलिए उस पर कर देयता 0.50 प्रतिशत है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों का विश्लेषण करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति में कमी की है,जो पूर्णतः उचित है। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उद्धरित अपील संख्या 1821/2012/ झुन्झुनूँ वाणिज्यिक कर अधिकारी,झुन्झुनूँ बनाम मैसर्स श्याम फर्नीचर,झुन्झुनूँ में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2014 के तथ्यों से हस्तगत प्रकरण के तथ्य पूरी तरह से मेल खाने से हस्तगत प्रकरण उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त से आच्छादित होने से अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य